राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 5328/2024

पूनम मटोरिया पत्नी श्री मुरली धर, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, चक नंबर 31, एनडीआर 31, चोहलियांवाली, जिला हनुमानगढ़।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री राकेश मटोरिया

श्री दीक्षित पंवार

प्रतिवादी(गण) के लिए : ------

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>03/04/2024</u>

1. याचिका का प्रार्थना खंड नीचे शब्दशः पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"i) प्रतिवादी विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित उत्तर कुंजी द्वारा जारी हिंदी के प्रश्न सं. 12, प्रश्न सं. 13, प्रश्न सं. 103 और प्रश्न सं. 139 के उत्तर को कृपया गलत घोषित किया जाए।

ii) प्रतिवादी अधिकारियों को कृपया निर्देश दिया जाए कि वे सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन के प्रश्न सं. 9 और 22 को पाठ्यक्रम से बाहर घोषित करते हुए बोनस अंक दें;

iii) प्रतिवादी अधिकारियों को कृपया निर्देश दिया जाए कि वे हिंदी के प्रश्न सं. 12, प्रश्न सं. 13, प्रश्न सं. 103 और प्रश्न सं. 139 के उत्तरों को मान्यता प्राप्त पुस्तकों में दिए गए उत्तरों के अनुसार सही करें और

व्याख्याता स्कूल शिक्षा (हिंदी) का संशोधित परिणाम घोषित करें और सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन के प्रश्न सं. 9 और 22 को पाठ्यक्रम से बाहर घोषित करते हुए बोनस अंक दें;

iv) प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे व्याख्याता स्कूल शिक्षा (हिंदी) का नया संशोधित परिणाम जारी करें और याचिकाकर्ता की नई अंकतालिका जारी करें तथा प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादियों द्वारा गलत घोषित उत्तर के अंक जोड़कर याचिकाकर्ता को नियुक्त करें;

v) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

2. याचिका में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 प्रतिवादी संख्या 1 ने विभिन्न विषयों में व्याख्याता के पद के लिए दिनांक 28.04.2022 को विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के अंतर्गत हिंदी विषय के लिए आवेदन किया।

2.2 परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3/आरपीएससी ने 14.06.2023 को सफल अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची जारी की। सभी सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके पश्चात काउंसलिंग पूर्ण होने पर प्रतिवादियों ने दिनांक 31.10.2023 के आदेश के तहत सफल अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची घोषित की, जिसमें ओबीसी महिला वर्ग के लिए कट ऑफ अंक 304.29 दर्शाए गए। याचिकाकर्ता ने 307.23 अंकों के साथ मेरिट संख्या 216 पर अपना स्थान सुरक्षित किया।

2.3 दिनांक 31.10.2023 को आरपीएससी ने अंतिम मुख्य सूची जारी की, जिसमें ओबीसी महिला वर्ग के लिए अंतिम कट ऑफ अंक 312.61 दर्शाए गए। याचिकाकर्ता का दावा है कि ऐसे कई प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आरपीएससी द्वारा गलत घोषित किए गए हैं। याचिकाकर्ता को सही उत्तर देने के बावजूद हिंदी विषय के प्रश्न संख्या 12, 13, 139, 103 तथा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के प्रश्न संख्या 22 एवं 29 के अंक से वंचित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे मेरिट में नीचे स्थान दिया गया। इसलिए वर्तमान रिट याचिका।

3. इस प्रकार यह बात सामने आती है कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बावजूद असफल अभ्यर्थी है। जिस श्रेणी में उसने आवेदन किया था, उसके

लिए निर्धारित कट-ऑफ से उसे 5 अंक कम मिले। चयन परिणाम घोषित होने के बाद याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्नों को चुनौती दी है। उसका दावा है कि उनके उत्तर पाठ्यपुस्तकों के अनुसार मेल नहीं खाते हैं, इसलिए पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए।

4. कानून में यह स्थापित स्थिति है कि चयन प्रक्रिया में असफल रूप से भाग लेने के बाद, केवल इस आधार पर परीक्षकों की राय को चुनौती देना कि कोई विशेष अभ्यर्थी सफल नहीं हुआ है, टिकने योग्य नहीं है। यदि ऐसा मामला होता कि अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले, उपर्युक्त प्रश्नों को अनंतिम चरण में चुनौती दी गई होती, तो चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान अवसर होता।

5. इस स्तर पर, सफल उम्मीदवारों के मुकाबले केवल याचिकाकर्ता को उसके उत्तरों के सही होने के दावे पर लाभ देना, उसे अनुचित लाभ देने के बराबर होगा, क्योंकि वह उन लोगों पर बढ़त हासिल कर रही है, जिनके साथ भी समान व्यवहार किया गया है, यानी याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर अंक नहीं दिए जा रहे हैं।

6. किसी भी मामले में, किसी भी तरह की दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है। उत्तर कुंजी के अनुसार उत्तर सभी उम्मीदवारों पर लागू किए गए हैं, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को अलग से निशाना बनाया गया हो।

7. इसके अलावा, यह न्यायालय के लिए उपयुक्त मामला नहीं है कि वह अपने विवेकाधिकार को परीक्षकों की विशेषज्ञ राय के स्थान पर प्रतिस्थापित करे, जिन्होंने अपने डोमेन विशेषज्ञता के आधार पर उत्तर कुंजी तैयार की है।

8. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

9. तदनुसार खारिज की जाती है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।